

West Central Railway

Sr. DFM's Office BPL

No.AC/BPL/ADMN/Re-engagement

Date: 25-10-2017

Notification

All Concerned Bhopal Division

Sub: Re-engagement of Retired Staff on monthly remuneration basis in exigencies of services.

Ref: Railway Board's Letter No. E(NG)II/2010/RC-4/6 dated 14.09.2017 RBE No. 128/2017
Railway Board's Letter No. E(NG)II/2010/RC-4/6 dated 27.09.2012 RBE No. 109/2012
Rly. Board's L No. E(NG)II/2007/RC-4/CORE/1 dated 16.10.2017 RBE No. 150/2017

....

In reference to the above, applications in the prescribed proforma are invited from Retired Railway employee of Accounts department (other than retired voluntarily under LARSGESS & Compulsorily retired) from Accounts Clerks, JAA, AA, ASV, SSO (A/cs) and ISA categories etc. for re-engage of retired employees against existing vacancies of Accounts department subject to the following conditions:

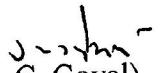
1. Re-engaged employees should not have been covered under the safety related retirement scheme/Liberalized Active Retirement Scheme for Guaranteed employment for safety staff (LARSGESS).
2. While engaging such staff, medical fitness for the appropriate/category should be obtained from the designated authorities as per existing practices..
3. Suitability/Competency of the staff should also be adjudged before engaging and the issue of their safety record should be addressed.
4. Maximum age limit for such re-engagement shall be 62 years and this limit shall not be exceeded in case of any retired railway employees during the period of re-engagement.
5. Monthly Remuneration of a retired employee being re-engaged be determined by reducing pension from his/her last paid drawn (i.e. Basic Pay + DA)
6. The scheme will be valid up to 14.09.2018 (Railway Board's Letter No. E(NG)II/2010/RC-4/6 dated 14.09.2017 RBE No. 128/2017).
7. Operation of this scheme will be subject to discharge of engaged staff immediately on joining of selected candidates from RRBs.
8. Subject to staff is not compulsorily retired under D&A Rules or pre-mature retirement under review or voluntarily retired under LARSGESS scheme.

Such eligible retired employees can submit their application immediately, however the scheme is open till 14.09.2018 & Retired employees those who are willing for their such re-engagement, in Railway services may submit their

applications to the concerned department, duly forwarded by the last depot/station and through certification of exigencies of services by concerned Branch Officer's to respective sections of Accounts department, DRM office Habibganj.

9. The serving employees who are due for retirement can apply before three months against this notification.

DA One Proforma of application.


(U. C. Goyal)
For Sr. DFM/BPL

Copy to: PFA/WCR/JBP. This is with reference to letter no. HQ/AC/GA/Admn/Re-engagement dated 10.10.2017

DRM/ADRM Bhopal for information please.


(U. C. Goyal)
For Sr. DFM/BPL

West Central Railway

Sr. DFM's Office BPL

No.AC/BPL/ADMN/Re-engagement

Date: 25-10-2017

सर्वसंबंधित भोपाल मंडल

अधिसूचना

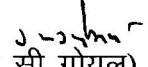
विषय : सेवाओं की तात्कालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मासिक पारिश्रमिक आधार पर सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को पुनर्नियुक्त देना।

उपरोक्त संदर्भ में, विभिन्न कोटियों के सेवा निवृत्त लेखा विभाग के रेल कर्मचारियों (लार्जस स्कीम के तहत स्वैच्छिक तथा अनिवार्य सेवानिवृत्ति को छोड़कर) जैसे Accounts Clerks, JAA AA, ASV, SSO (A/cs) and ISA इत्यादि से लेखा विभाग में मौजूदा रिक्तियों पर पदस्थापना हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

1. पुनर्नियुक्ति किये जाने वाले कर्मचारी संरक्षा संबंधी सेवानिवृत्ति योजना/उदारीकृत एक्टिव सेवानिवृत्त योजना लार्जस के अधीन सेवानिवृत्त हुए नहीं होना चाहिए।
2. ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त करते समय नामित प्राधिकार्यों द्वारा उचित/कटेगरी के लिए चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाना चाहिए।
3. कर्मचारियों को नियुक्त करने से पूर्व उसकी उपयुक्तता/सक्षमता का निर्धारण किया जाना चाहिए तथा उनके संरक्षा रिकार्ड की जांच की जानी चाहिए।
4. ऐसी पुनर्नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष होगी और यह सीमा किसी भी हालत में बढ़ायी नहीं जाएगी।
5. संबंधित मंडलों एवं कारखानों से सेवा निवृत्त रेल कर्मचारियों को उनके पूर्व मंडल या कारखाने में ही पुनर्नियोजित करने हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।
6. ऐसे कर्मचारियों का पारिश्रमिक रेलवे बोर्ड के पत्र E(NG)II/2007/RC-4/CORE/1 dated 16.10.2017 RBE No. 150/2017 के अनुसार पुनः कार्य पर लिये गये सेवा निवृत्त कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक उसके द्वारा आहरित अंतिम वेतन (मूल वेतन + डी ए) में से उसे प्राप्त होने वाली पेंशन को कम करते हुये निर्धारित किया जायेगा।
7. यह योजना दिनांक 14.09.2018 तक वैध होगी। रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या E(NG)II/2010/RC-4/6 dated 14.09.2017 RBE No. 128/2017
8. आर आर बी से चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति पर इस योजना के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से हटाया जाएगा।
9. अनुशासन एवं अपील नियम के तहत अनिवार्य सेवा मुक्ति, समीक्षाधीन समय पूर्व सेवा मुक्ति या लार्जस के अधीन स्वैच्छिक सेवामुक्ति के अधीन सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर यह योजना लागू नहीं होगी।
ऐसे पात्र सेवानिवृत्त 14.09.2018 तक सेवा निवृत्त होने वाले पात्र कर्मचारी जो रेल सेवा में पुनर्नियुक्ति की इच्छा रखते हों संबंधित शाखा में अपने आवेदन दे सकते हैं और ऐसे आवेदन सम्बन्धित शाखा अधिकारियों द्वारा दिये गये सेवा की तात्कालिक आवश्यकता

संबन्धी प्रमाण पत्र सहित अंतिम कार्यरत डिपो/स्टेशन द्वारा लेखा विभाग, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय हबीबगंज को अग्रेषित किया जाना चाहिए।

10. कर्मचारी अपनी सेवाओं से 3 माह पूर्व भी उक्त अधिसूचना के तहत आवेदन कर सकते हैं।


(यू सी गोयल)
कृते वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक
भोपाल

प्रतिलिपि PFA/WCR/JBP को उनके पत्र HQ/AC/GA/Admn/Re-engagement
दिनांक 10.10.2017 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ।

मंडल रेल प्रबंधक/ अपर मंडल रेल प्रबंधक भोपाल को सादर सूचनार्थ।


(यू सी गोयल)
कृते वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक
भोपाल

आवेदन पत्र

सेवा की तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए दैनिक पारिश्रमिक आधार पर पुनर्नियुक्ति हेतु सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों द्वारा भरा जाने वाला आवेदन प्रपत्र
संदर्भ दिनांक

क्रमांक	विवरण	
1.	नाम	
2.	पिता का नाम	
3.	सेवानिवृत्ति के समय पदस्थ स्टेशन एवं पदनाम	
4.	विभाग	
5.	शैक्षणिक योग्यता	
6.	जन्म तिथि	
7.	नियुक्ति तिथि	
8.	सेवानिवृत्ति की तिथि	
9.	पी एफ नंबर	
10.	एस सी/एस टी	
11.	अंतिम प्राप्त वेतन	
12.	प्राप्त बेसिक पेंशन	
13.	जी पी सहित ग्रेड एवं रेट पे	
14.	अनुभाग/अन्य तकनीकी योग्यता	

कर्मचारी के हस्ताक्षर

दिनांक

संबंधित शाखा अधिकारी को अग्रेषित

वरि. मंडल वित्त प्रबंधक
भोपाल

शाखा अधिकारी द्वारा सेवा की तात्कालिक आवश्यकता का प्रमाण एवं सिफारिश।

वरि. मंडल वित्त प्रबंधक
भोपाल